

रेल भर्ती बोर्ड, मुम्बई



RAILWAY RECRUITMENT BOARD, Mumbai

Railway Divisional Office Compound, Mumbai Central, Mumbai - 400 008

रेलवे डिवीजनल ऑफिस कम्पाउन्ड, मुम्बई सेन्ट्रल, मुम्बई - 400 008

उम्मीदवारों के लिए अनूदेश -

1. आप इस प्रवेश-पत्र को रेल पर नियुक्ति के लिए कोई अधिकार पत्र न समझें।
2. आप इस प्रवेश-पत्र में निर्धारित समय से ठीक आधा घंटा पहले परीक्षा भवन में पहुंचने की सूचना दें। उपस्थिति दर्ज करने, प्रवेश-पत्र एकत्रित करने जैसी औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद परीक्षा शुरू होगी। उक्त प्रवेश-पत्र के बिना आपको परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फेक्स/जेरोक्स मान्य नहीं हैं।
3. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद परीक्षा भवन/कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने एवं अन्य औपचारिकता पूरी करने के पहले परीक्षा कक्ष/भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
4. आप प्रवेश पत्र के ऊपरी भाग में निर्दिष्ट स्थान पर हाल ही का खींचा फोटो चिपकाएँ और उस पर अपना हस्ताक्षर करें अन्यथा परीक्षा नहीं देने दिया जायेगा।
5. इस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश पत्र के निम्न भाग में उम्मीदवार का फोटोग्राफ स्कैन किया गया है। यदि किसी उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर फोटो स्कैन नहीं किया गया हो या अस्पष्ट या गलत फोटो स्कैन हो गया हो, तो इस प्रवेश-पत्र और एक पासपोर्ट फोटोग्राफ के साथ समाचार पत्रों में सूचित तिथि को सही प्रवेश-पत्र लेने के लिए इस भर्ती बोर्ड में आ जायें। यात्रा एवं ठहरने संबंधी व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी। यदि किसी उम्मीदवार का प्रवेश-पत्र त्रुटिपूर्ण होगा तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा। प्रवेश-पत्र में छोटी त्रुटियाँ जैसे नाम, पिता के नाम के स्पेलिंग में त्रुटि एवं गलत समुदाय के लिए अभ्यर्थी को रेल भर्ती बोर्ड में आने की आवश्यकता नहीं है। वे इसी प्रवेश-पत्र से परीक्षा दे सकते हैं और उत्तर-पत्र इत्यादि में अपना सही नाम एवं समुदाय अंकित करेंगे। ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के त्रुटियों के बारे में रेल भर्ती बोर्ड को प्रवेश-पत्र की एक छाया प्रति के साथ लिखित सूचना अवश्य दें।
6. परीक्षा के अंत में उम्मीदवार अपने हिस्से का प्रवेश-पत्र अपने पास रखकर वीक्षक वाले भाग को केन्द्र पर्यवेक्षक को अनिवार्यतः सौंप दें। उम्मीदवार अपने हिस्से का प्रवेश-पत्र संभालकर रखें जिसे इससे संबंधित आगामी परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होता है।
7. परीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रवेश पत्र तथा उपस्थिति पत्र पर किये गये हस्ताक्षर उनके आवेदन पत्र पर किये गये हस्ताक्षर से हू-ब-हू मिलने चाहिये।
8. उम्मीदवार कृपया सुनिश्चित करें की उपस्थिति पत्र में बायें हाथ के अंगूठे का निशान स्पष्ट तथा पूर्ण है। अस्पष्ट/अपूर्ण अंगूठा निशानी होने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
9. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा स्थान/केन्द्र में कोई फेरबदल नहीं होगा।
10. पुस्तक, नोट पुस्तिका, गणक, मोबाइल फोन आदि को परीक्षा केन्द्र पर न ले जायें।
11. बोर्ड को किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार समूह या सभी उम्मीदवारों के मामले में पुनः परीक्षा हेतु आदेश करने का अधिकार सुरक्षित है।
12. रेल भर्ती बोर्ड को कोई भी मिथ्या सूचना देने या कोई वांछित तथ्यपरक सूचना को जानबूझकर छिपाने जैसी बात का पता लग जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य समझा जायेगा तथा उसे रेलों या किसी अन्य सरकारी पदों पर नियुक्ति संबंधी चयन या परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा। यदि नियुक्ति हो भी गई है तो उसकी सेवा तुरंत समाप्त की जा सकती है।
13. यदि कोई उम्मीदवार उत्तर-पुस्तिका/प्रश्न पुस्तिका खो देता है/फाड़ डालता है/लेकर भाग जाता है या कदाचार में लिप्त पाया जाता है तो वैसी परिस्थिति में केन्द्र पर्यवेक्षक को निर्देश है कि आवश्यक पुलिस कार्रवाई हेतु संबंधित थाने में उक्त आशय का प्राथमिकी दर्ज करायें। इसके अलावा यह भर्ती बोर्ड भी ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकता है। उसकी परीक्षा रद्द की जायेगी।
14. सुनिश्चित करें कि प्रश्न पुस्तिका तथा उत्तर सीट की क्रम संख्या एक हैं। अन्यथा इसके स्थान पर दुसरी ले ले।
15. कृपया ध्यान दें कि अन्य मामलों में रोजगार सूचना में निर्धारित तमाम शर्तें आवश्यक संशोधन सहित लागू होगी।
16. परीक्षा संबंधी सूचना के लिए कृपया रेल भर्ती बोर्ड, मुम्बई, वेबसाइट www.nrbmumbai.gov.in पर पधारें।

ध्यान दें :-

- (1) जो उम्मीदवार प्रश्न-पुस्तिका पर उत्तर दर्शाने हेतु सही (✓) या किसी भी प्रकार के निशान लगायेंगे तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। रफ कार्य निर्दिष्ट स्थान पर ही करें।
- (2) परीक्षा बहिष्कार करने की स्थिति में फिर से परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (3) अभ्यर्थी प्रश्न-पुस्तिका में 'घोषणा' को भरें अन्यथा अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- (4) पररूप धारण करने या कदाचार में लिप्त पाये जाने पर उम्मीदवार को आजीवन रेल में परीक्षा देने एवं नियुक्ति से वंचित कर दिया जायेगा।

कृते अध्यक्ष
रेल भर्ती बोर्ड, मुम्बई

INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES :

1. This Admit-card does not by itself give any entitlement whatsoever for any appointment on the Railway.
2. You should report at the examination hall half an hour positively before the time mentioned in the Admit-card. The test shall commence after formalities like taking attendance, collections of Admit card etc. You will not be allowed to enter the examination hall without this Admit card. Fax / xerox copy is not valid.
3. No candidate is to be allowed to enter the examination hall/room after 10 minutes of the commencement of the examination. No candidate will be permitted to leave the examination hall/room before the examination is over and other formalities are completed.
4. Paste your recent photograph in the prescribed space on the upper portion of the Admit-Card and put your signature without which no candidates shall be allowed to appear in the examination.
5. In the lower portion of the Admit-card the photograph of the candidate has been scanned. If the candidate has received the Admit-card without scanned photograph blurred / different photograph or incomplete, he/she should come to this RRB on the date notified in the newspapers alongwith a recent passport size photograph and this Admit-card for issuing correct Admit-card. Candidates must make their own arrangements for travel and stay. A candidate with incomplete Admit-card as mentioned above will not be allowed to sit for the examination. For minor spelling mistakes in name, father's name or wrong community in Admit-card the candidate need not come to RRB Mumbai. They can appear in the examination with the Admit-card and indicate correct name and community in answer sheet etc. However they have to intimate the RRB in writing indicating the discrepancies in the Admit-card enclosing a photocopy of the same.
6. At the end of the examination, the candidates must surrender the invigilator's portion of the Admit-card to the centre supervisor keeping back his own portion which will be required at the time of further examination regarding this and certificate verification.
7. The signature made at the examination centre on Admit-card and Attendance-sheet by the candidate during the examination period must tally with the signature of the candidate on the application form.
8. It is the responsibility of the candidate to ensure that his/her left thumb impression on attendance sheet is clear and complete. Smudged/unclear thumb impression will lead to disqualification of candidate.
9. Change of Venue/Centre for the examination will not be permitted under any circumstances.
10. Book, Note book, Calculator, Mobile phone etc. will not be permitted in Examination Hall.
11. The Board reserves the right to order re-examination in case of any candidate or a group of candidates or for all candidates.
12. Furnishing any false information to the RRB or deliberate suppression of any required factual information at any stage of its detection, will render the candidate liable for being disqualified and debarred from appearing at any selection or examination for appointment on the Railways or to any other Govt. post and if appointed, his services may summarily be terminated.
13. In case of the loss of/destroying / tearing off/running away with the Answer Sheet, Question Booklet or using unfair means by any candidate, the centre Supervisors have been instructed to lodge the necessary FIR with the concerned Police Station for necessary Police action. In addition to this , the RRB will take necessary suitable action against such candidate. His / Her exam. will be cancelled.
14. **ENSURE THAT QUESTION BOOKLET AND ANSWER-SHEET HAVE SAME SERIAL NO. OTHERWISE GET THEM CHANGED.**
15. Please note that in other matters, the terms and conditions laid down in the Employment notice shall apply mutatis-mutandis.
16. For examination related information please visit RRB Mumbai, website : www.nrbmumbai.gov.in

NOTE :

- (1) The Candidate who makes tick (✓) mark/marks answers on the Question Booklet shall be disqualified. Rough Work should be done only in the space provided.
- (2) In Case of Walk-out, no re-examination will be taken.
- (3) Candidates must copy the "declaration" in Question Booklet, failing which candidature will be cancelled.
- (4) Candidates found indulging in malpractices/impersonations will be debarred for life from appearing at the examination or appointment on the Railways.

For Chairman
RRB, Mumbai